न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 44 / 2023
जीसीएमएस नं. 2023 / 141

दायर दिनांक 31.10.2023
निर्णय दिनांक 20.08.2025

1. श्रीमति कंकु बेन पत्नि स्व. भीमजी लबाना निवासी माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री सोमेश्वर पिता रामा मीणा निवासी माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डूँगरपुर
2. श्रीमति ललीता पत्नि सोमेश्वर मीणा निवासी माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डूँगरपुर
3. हुका पुत्र गंगा चमार निवासी माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डूँगरपुर
4. भूमिधारी, तहसीलदार गामडी अहाडा, जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.श्री प्रेमपुरी गोस्वामी – अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री प्रवीण शुक्ला – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 01 व 02 की ओर से।

–:निर्णयः– दिनांक –20.08.2025

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गामडी अहाडा तत्कालीन तहसील डूँगरपुर वर्तमान तहसील गामडी अहाडा जिला डूँगरपुर के तत्समय के खसरा संख्या 583 विलानाम में से विपक्षीगण 1 व 2 को वर्ष 2002 में रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिनके बटा नम्बर 7749 / 583 किस्म सु.ाा एवं वर्ष 2005 में पुनः आवंटित रकबा 15 बिस्वा जिनके बटा नम्बर 7769 / 583 किस्म सु.ाा कायम हुए थे एवं वर्तमान पैमायश में उनके खसरा नम्बर कमशः 785 रकवा 0.2400 हैक्टेयर किस्म मगरी एवं 786 रकबा 0.1200 हेक्टेयर किस्म मगरी कायम हुए एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम जमाबंदी संवत 2078 में दर्ज हुआ है ।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

प्रार्थिया व उसका परिवार राजस्व ग्राम गामडी अहाडा की तत्कालीन बिलानाम आराजी संख्या 583 के रकबा करीब 2 बीघा भूमि पर बाड लगा भूमि को सुरक्षित कर इसमें मवेशियो की चराई एवं मवेशियो हेतु घास का संग्रहण करता था, फसल की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल खुदवाया है, फसल के संग्रहण एवं अनाज निकालने हेतु खलिहान बनाया है तथा पत्थरो का परकोटा बनाकर मवेशियो को बांधने, निवास करने, घास व अनाज को सुरक्षित रखने तथा ट्युबवेल हेतु पक्का मकान का भी निर्माण करवाया गया है, इस प्रकार प्रार्थिया व उसका परिवार विगत करीब 35–36 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है ।

उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 व 2 के चोरी छिपे मिलीभगत कर कागजो में भूमि का आवंटन करवा लिया है । विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन से पूर्व इसकी विधिवत घोषणा नही हुई है। भूमि आवंटन के वक्त रिक्त भूमि नही थी अर्थात आवंटित भूमि un occupied भूमि नही होकर इस पर प्रार्थिया का पुराना कब्जा था। आवंटित भूमि का आवंटी को कभी भी मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नही हुआ है, आवंटन के पश्चात आवंटी कभी मौके पर नही आये, आवंटन कागजो में ही बना रहा एवं कागजो में ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है, जो विधि विरूद्ध है तथा ऐसा आवंटन निरस्त योग्य ठहरता है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को को मौके पर भौतिक रूपेण कब्जा ही सुपुर्द नही हुआ है तथा मौके पर भौतिक एवं वास्तविक रूपेण जब प्रार्थिया व उसके परिवार का कब्जा काश्त होकर आवंटन की जाने वाली कथित भूमि जब प्रार्थिया के परकोटे में स्थित हो कब्जे काश्त में थी, तब आवंटिगण को भौतिक रूपेण मौके पर कब्जा सुपुर्द करान संभव नही था एवं जब कब्जा ही सुपुर्द नही हुआ था तब आवंटिगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करना संभव नही था अर्थात आवंटिगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही होकर आवंटन शर्तो की पालना ही नही हुई है तो आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन होकर यह आवंटन काबिल निरस्ती के है।

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को उक्त उपरवर्णित भूमि को आवंटन करने के पूर्व आवंटन हेतु आवश्यक नियमों अर्थात भूमि का अनाधिकृत होकर मौके पर आवंटन हेतु उपलब्ध होना आवंटन की जाने वाली भूमि की उद्घोषणा जारी कर इसका विधिवत रूपेण प्रचार करना, आवंटन के पूर्व आवंटित भूमि का मौका निरीक्षण करना आवंटन के पश्चात भूमि का मौके पर कब्जा सुपुर्द करना, आवंटन शर्तो की पालना करना अर्थात मौके पर भूमि को काश्त हेतु उपयोग में लाना आदि एवं अन्य शर्तो की पालनाएं नही होने से भूमि आवंटन निरस्त योग्य है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेण्ट को आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

2. अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

4. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि मौजा गामडी अहाडा के खसरा न. 583 में रेस्पोडेण्ट के पुराने कब्जे व आवंटन की पूर्ण पात्रता के कारण प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प गामडी अहाडा में दिनांक 08.07.2002 को मजमे आम में 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ है। रेस्पोडेण्ट के पक्ष में विधिवत गैर खातेदारी में नामान्तरण खोला गया है जिसका नया न. 7749 / 583 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा पडा है। इसी प्रकार विपक्षीगण के पूराना कब्जा होने से खसरा न. 583 में 15 बिस्वा भूमि का भी आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है जिसका नया न. 7763 / 583 रकबा 15 बिस्वा पडा है।

विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमि पर काबिज होकर काफी परिश्रम कर व भारी रूपया व्यय कर व बैंक से ऋण लेकर कृषि योग्य उपजाऊ बनाया है तथा अब 22 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी अन्य गांव माडा का निवासी है व वादग्रस्त जमीन गामडी अहाडा में है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर कभी भी काबिज नहीं रहा है तथा न ही कभी काश्त की है। विपक्षीगण को आवंटन केम्प में सक्षम अधिकारीयों द्वारा मजमें आम में किया गया है। आवंटन पश्चात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की गई है। इसी कारण विपक्षीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हुए है।

विपक्षी संख्या– 3 का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज कर दिया गया है । अभी कुछ समय पूर्व ही रेवेन्यू रेकार्ड को ऑनलाईन किया गया है इसमें त्रुटिवश विपक्षी संख्या 3 का नाम भी दर्ज हो गया है तो इस इन्द्राज में शुद्वि कराने हेतु विपक्षी सं 1 व 2 द्वारा अलग से कार्यवाही की जा रही है।

अतः जवाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस सूनी।

6. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी वहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गामडी अहाडा तत्कालीन तहसील डूँगरपुर वर्तमान तहसील गामडी अहाडा जिला डूँगरपुर के तत्समय के खसरा संख्या 583 बिलानाम में से विपक्षीगण 1

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

व 2 को वर्ष 2002 में रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिनके बटा नम्बर 7749/583 किस्म सु.iii एवं वर्ष 2005 में पुनः आवंटित रकबा 15 बिस्वा जिनके बटा नम्बर 7769/583 किस्म सु.iii कायम हुए थे एवं वर्तमान पैमायश में उनके खसरा नम्बर क्रमशः 785 रकबा 0.2400 हैक्टेयर किस्म मगरी एवं 786 रकबा 0.1200 हेक्टेयर किस्म मगरी कायम हुए एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम जमाबंदी संवत 2078 में दर्ज हुआ है ।

प्रार्थिया व उसका परिवार राजस्व ग्राम गामडी अहाड़ा की तत्कालिन बिलानाम आराजी संख्या 583 के रकबा करीब 2 बीघा भूमि पर बाड लगा भूमि को सुरक्षित कर इसमें मवेशियो की चराई एवं मवेशियो हेतु घास का संग्रहण करता था, फसल की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल खुदवाया है, फसल के संग्रहण एवं अनाज निकालने हेतु खलिहान बनाया है तथा पत्थरो का परकोटा बनाकर मवेशियो को बांधने, निवास करने, घास व अनाज को सुरक्षित रखने तथा ट्युबवेल हेतु पक्का मकान का भी निर्माण करवाया गया है, इस प्रकार प्रार्थिया व उसका परिवार विगत करीब 35–36 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है ।

प्रार्थिया की पुराने कब्जे काश्त की उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 व 2 के चोरी छिपे मिलीभगत कर कागजो में भूमि का आवंटन करवा लिया है ।

विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन से पूर्व इसकी विधिवत घोषणा नही हुई है भूमि आवंटन के वक्त रिक्त भूमि नही थी अर्थात आवंटित भूमि un occupied भूमि नही होकर इस पर प्रार्थिया का पुराना कब्जा था। आवंटित भूमि का आवंटी को कभी भी मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नही हुआ है, आवंटन के पश्चात आवंटी कभी मौके पर नही आये, आवंटन कागजो में ही बना रहा एवं कागजो में ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है, जो विधि विरूद्ध है तथा ऐसा आवंटन निरस्त योग्य ठहरता है। आवंटिगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की है तो आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन होकर यह आवंटन काबिल निरस्ती के है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवंटन के पश्चात रेकार्ड में भूमि की किस्म सुखी–iii अंकित की गई थी, किन्तु आवंटन के पश्चात आवंटीगण द्वारा भूमि को कृषि प्रयोजन में नही लाने से भूमि की वर्तमान में किस्म मगरी दर्ज कर दी गई है, जिससे भी आवंटन शर्तो की पालना नही होना प्रमाणित होता है, जिससे आवंटन निरस्त योंग्य है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेण्ट को आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गामडी अहाडा के खसरा न. 583 में रेस्पोडेण्ट के पुराने कब्जे व आवंटन की पूर्ण पात्रता के कारण प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प गामडी अहाडा

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

में दिनांक 08.07.2002 को मजमे आम में 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ है। रेस्पोडेण्ट के पक्ष में विधिवत गैर खातेदारी में नामान्तरण खोला गया है जिसका नया न. 7749 / 583 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा पडा है। इसी प्रकार विपक्षीगण के पूराना कब्जा होने से खसरा न. 583 में 15 बिस्वा भूमि का भी आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है जिसका नया न. 7763 / 583 रकबा 15 बिस्वा पडा है।

विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमि पर काबिज होकर काफी परिश्रम कर व भारी रूपया व्यय कर व बैंक से ऋण लेकर कृषि योग्य उपजाऊ बनाया है तथा अब 22 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी अन्य गांव माडा का निवासी है व वादग्रस्त जमीन गामडी अहाडा में है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर कभी भी काबिज नहीं रहा है तथा न ही कभी काश्त कि है। वादग्रस्त भूमि का विपक्षीगण के द्वारा उन्नत बनाने से भूमि की किमत बढने से प्रार्थी जबरन विपक्षीगण जो कि अनुसूचित जनजाति के होकर काश्तकार है को आवंटित भूमि को हडपना चाहता है। विपक्षीगण को आवंटन केम्प में सक्षम अधिकारीयों द्वारा मजमें आम में किया गया है। आवंटन पश्चात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की गई है इसी कारण विपक्षीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हुए है।

विपक्षी संख्या– 3 का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज कर दिया गया है । अभी कुछ समय पूर्व ही रेवेन्यू रेकार्ड को ऑनलाईन किया गया है इसमें त्रुटिवश विपक्षी संख्या 3 का नाम भी दर्ज हो गया है तो इस इन्द्राज में शुद्वि कराने हेतु विपक्षी सं 1 व 2 द्वारा अलग से कार्यवाही की जा रही है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

8. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 583 बिलानाम में से विपक्षीगण 1 व 2 को वर्ष 2002 में आवंटन सलाहकार समिति केम्प गामडी अहाडा द्वारा रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिनके बटा नम्बर 7749 / 583 किस्म सु.III एवं वर्ष 2005 में पुनः आवंटित रकबा 15 बिस्वा जिनके बटा नम्बर 7769 / 583 किस्म सु.III भूमि आवंटित की गई। आवंटन पश्चात नया नम्बर क्रमशः 785 व 786 दर्ज किया गया।

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो के पालना नहीं किया जाना अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता हो। आवंटी को आवंटन पश्चात वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद यह अपील प्रस्तुत की हैं। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2002 व 2005 को मौजा गामडी अहाडा के आराजी नम्बर 583 में से आवंटन सलाहकार समिति केम्प गामडी अहाडा ने विपक्षी संख्या 1 से 2 को खसरा न. 7749/583 (नवीन नम्बर 785) रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा न. 7763/583 (नवीन न. 786) रकबा 15 बिस्वा भूमि आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 20.08.25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर